II

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका सं0 – खा0/रिबेट/86/100/2015–16/2016–17

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय ज्ञापांक–1088 दिनांक–14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहन करने के उदेश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट (रिबेट) दिया जाना है।

01. मिथिला खादी ग्रामोद्योग बुनकर आश्रम, मधुबनी को वर्ष 2015–16 का कुल उत्पादन 8.60 लाख है। उत्पादन के आधार पर समिति को 10% रिबेट की राशि 85,974.00 (पचासी हजार नौ सौ चौहत्तर) रूपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त संस्था को रिबेट मद में स्वीकृत राशि में 20% खादी ऋण मद में बैंक कटौती करते हुए उनके बैंक खाता में मो0 68,779.00 रूपये (अड़सठ हजार सात सौ उनासी) रूपये मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

03. उक्त राशि का भुगतान समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के रिबेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिबेट की राशि Charterd Accountant से सत्यापित कराया गया है। जिसे खादी बोर्ड के P.M.A (Grant Thornton India LLP) द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ–साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रृटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक 40/302 पटना, दिनांक 04/08/2018

प्रतिलिपि :– सहायक लेखा पदाधिकारी,(ऋण/अंकेक्षण/रिबेट (योजना) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि खादी बोर्ड द्वारा समिति पर बकाये खादी ऋण मद में राशि का 20% राशि रिबेट दावा की राशि से रू0 17,195.00 (सतरह हजार एक सौ पन्चानवें) रूपये मात्र कटौती की गई है जिसका समायोजन करेगें। कटौती की गई राशि को खादी बोर्ड के खाता में जमा करेगें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

Scanned by CamScanner

123

ज्ञापांक पु0/302 पटना, दिनांक 09/08/2018

प्रतिलिपि :– सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेगें तथा बिहार स्टेट खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड,पटना के नाम से रेखांकित चेक के माध्यम से समिति का खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि का समायोजन करेगें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
8/8/18

ज्ञापांक पु0/302 पटना, दिनांक 09/08/2018

प्रतिलिपि :– मंत्री, समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर समिति की जिम्मेबारी होगी और उक्त राशि का समिति से वसूलनीय होगी।

06-08-18 08/08/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
8/8/18

Scanned by CamScanner